उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग
उत्तराखण्ड

विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों आदि का संकलन

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड।

विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों आदि का संकलन–

क0सं0	विषय/विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों अधिसूचना आदि का विवरण	संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
1.	उत्तरांचल अभिलेख परामर्शदात्री समिति, उत्तरांच क्षेत्रीय अभिलेख, सर्वेक्षण समिति, तथा क्रय समिति के गठन के सम्बन्ध में।	38/VI-1/2005 दिनांक 22 जनवरी, 2005	1 से 7
2.	अनुसूचित जातियों में लोक कला विधाओं व हस्तशिल्प कलाओं को बढ़ावा।	278/VI-1/2006–5(19) 2006 दिनांक 20 जून, 2006	8 से 13
3.	संस्कृति विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत मूर्तियों की स्थापना/स्मारक निर्माण आदि हेतु दिशा निर्देशों का गठन।	355/VI-1/2006–9(19) 2006 दिनांक 13 दिसम्बर, 2006	14 से 16
4.	कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासी यात्रियों को राज्य सरकार की ओर सैं आर्थिक सहयोग प्रदान किये जाने विषयक।	93/VI-1/2008–5(8) 2007 दिनांक 03 मार्च, 2008	17 से 18
5.	कलाकारों/कला समूहों तथा गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कार्यक्रम आयोजित करने तथा वेशभूषा व वाद्ययंत्रों के क्रय आदि हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।	105/VI-1/2008–4(4)2007 दिनांक 05 मार्च, 2008	19 से 23
6.	लोक संस्कृति का दस्तावेजीकरण तथा प्रचार–प्रसार के कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।	293/VI-1/2008–10(7)2008 दिनांक 24 नवम्बर, 2008	24 से 25
7.	उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन नियमावली–2010	193/VI-1/2010–14(सं0) 2002 टी.सी. दिनांक 28 अक्टूबर, 2010	26 से 31
8.	पुस्तक प्रकाशन हेतु लेखकों को सहायता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।	660/VI-2/2010–2(1) 2009 दिनांक 08 दिसम्बर, 2010	32 से 33
9.	स्पर्श गंगा बोर्ड का प्रशासकीय नियंत्रण संस्कृति विभाग के अधीन रखा जाना।	136/VI-2/2011–82(4) 2011 दिनांक	34

		01 फरवरी, 2011	
10.	संस्कृति के विभिन्न आयामों का ऑडियो एवं वीडियो अभिलेखीकरण हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने विषयक।	09 / VI-2 / 2011–72 (6)2010 दिनांक 22 मार्च, 2011	35 से 37
11.	अनुसूचित जाति के एकल कलाकारों को पारम्परिक वाद्य यंत्र–ढोल, दमाऊ, मसकबीन, रणसिंगा, तुरही, नगाड़ा, ढाल–तलवार आदि निःशुल्क वितरित किये जाने विषयक।	1276 / VI-2 / 2011–82 (27) 2011 दिनांक 07 दिसम्बर, 2011	38 से 39
12.	अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत गुरू–शिष्य परम्परा के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये पारम्परिक वाद्ययंत्रों एवं वेश–भूषा के कय हेतु दिशा–निर्देश।	117 / VI-2 / 2012–71(6) 2010 दिनांक 23 फरवरी, 2012	40 से 42
13.	राजकीय संग्रह में वृद्धि करने के विभिन्न माध्यमों से उपलब्ध होने वाली कलाकृतियों / पुरावशेषों / कलावस्तुओं आदि के कय हेतु स्थानीय प्रदर्श कय समिति का गठन।	55 / VI-2 / 2012–82 (13) 2012 दिनांक 02 नवम्बर, 2012	43 से 44
14.	छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में संस्कृति विभाग के अन्तर्गत दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व रू 6500–10500 में सृजित पदों पर कार्यरत कार्मिकों के वेतनमान पुनरीक्षित किए जाने के सम्बन्ध में।	85 / VI-2 / 2013–13 (संस्कृति) / 2001 दिनांक 15 फरवरी, 2013	45

संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) द्वारा जारी अधिसूचना –

क0सं0	विषय / विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों आदि का विवरण	संख्या एवं दिनांक	पृष्ठ संख्या
1-	प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधीनियम 1958 संशोधित दिनांक 29 अक्टूबर, 2010 एवं 13 फरवरी, 2012 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा–20 ग और 20–घ के प्रयोजन हेतु प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, संस्कृति विभाग को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया।	अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी, 2012 संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार।	46 से 48

संख्या–38 / VI-I / 2005

प्रेषक,

एन0एन0 प्रसाद,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति विभाग,
देहरादून।

संस्कृति विभाग :

दिनांक २२ जनवरी २००५

विषयः– उत्तरांचल अभिलेख परामर्शदात्री समिति, उत्तरांचल क्षेत्रीय अंभिलेख सर्वेक्षण समिति तथा क्रय समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या–70 / दो–17 / रा0अभि0उ0 / 2004–05, दिनाँक, 14 सितम्बर, 2004 के सम्बन्ध में तथा पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–3468 / चार–8(1) / 73, दिनाँक 28 जनवरी, 1984 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से श्री राज्यपाल महोदय 3 वर्ष के लिए उत्तरांचल अभिलेख परामर्शदात्री समिति तथा उसके अन्तर्गत उत्तरांचल क्षेत्रीय अभिलेख परामर्शदात्री समिति, उत्तरांचल क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति एवं क्रय समिति को नियमानुसार गठित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क- उत्तरांचल अभिलेख परामर्शदात्री समिति :-

उत्तरांचल अभिलेख परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	मंत्री / राज्य मंत्री, संस्कृति विभाग, उत्तरांचल	–	अध्यक्ष
2.	सचिव, संस्कृति विभाग	–	उपाध्यक्ष / सदस्य
3.	निदेशक, संस्कृति विभाग	–	सदस्य / सचिव
4.	महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार	–	सदस्य
5.	निदेशक, उ0प्र0 राजकीय, अभिलेखागार, लखनऊ	–	सदस्य

6.	विभागाध्यक्ष / इतिहास विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	–	सदस्य
7.	विभागाध्यक्ष / इतिहास विभाग कुमाऊँ विश्वविद्यालय कैम्पस, (अल्मोड़ा)	–	सदस्य
8.	विभागध्यक्ष / इतिहास विभाग हे0नं0ब0 विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)	–	सदस्य
9.	विभागध्यक्ष / इतिहास विभाग हे0नं0ब0 विश्वविद्यालय कैम्पस, (पौड़ी)	–	सदस्य
10.	विभागध्यक्ष / इतिहास विभाग गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	–	सदस्य
11.	निदेशक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला सैक्टर–ई–3, अलीगंज, लखनऊ	–	सदस्य
12.	प्रो0 के0 पी0 नौटियाल (भू0पू0 कुलपति) हे.नं0ब0 विश्वविद्यालय, (गढ़वाल)	–	सदस्य
13.	प्रो0 एम0 पी0 जोशी (भू0पू0 विभागध्यक्ष) इतिहास विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय कैम्पस, अल्मोड़ा।	–	सदस्य
14.	निदेशक / प्रभारी, राज्य अभिलेखागर, उत्तरांचल, देहरादून	–	सदस्य
15.	निदेशक, पं0गो0ब0पन्त संग्रहालय, अल्मोड़ा	–	सदस्य
16.	क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, पौड़ी	–	सदस्य
17.	क्षेत्रीय पुरात्तव अधिकारी, अल्मोड़ा	–	सदस्य
18.	क्षेत्रीय अभिलेख अंधिकारी, नैनीताल	–	सदस्य
19.	डॉ0 शिव प्रसाद नैथानी, श्रीनगर–गढ़वाल	–	सदस्य
20.	डॉ0 यशवन्त सिंह कठोच, पौड़ी–गढ़वाल	–	सदस्य

उक्त परामर्शदात्री समिति ऐसे सदस्यों को भी समय–समय पर मनोनीति कर सकती है, जिनकी सलाह की उन्हें आवश्यकता हो। परामर्शदात्री समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे–

1. उत्तरांचल राजकीय अभिलेखागार के सुधार रूप से संचालन हेतु राज्य सरकार को समय–समय पर परामर्श देना।
2. प्राचीन हस्तलिखित ऐतिहासिक ग्रन्थों एवं अभिलेखों को सम्पूर्ण उत्तरांचल प्रदेश में सुव्यवस्थित ढंग से खोज करना।
3. ऐसे महत्वपूर्ण ग्रन्थों / अभिलेखों की माइक्रोफिल्म प्रति प्राप्त करना जिनको लोग राजकीय अभिलेखागार को नहीं देना चाहते हैं।
4. प्राप्त हस्तलिखित, ग्रन्थों एवं अभिलेखों का वैज्ञानिक संरक्षण एवं इनको शोध कार्य हेतु उपलब्ध कराना तथा उसकी प्राप्ति सूची, कलैन्डर, कैटलाग आदि प्रकाशित कराना।
5. व्यक्तिगत अधिकार में रखे अभिलेखों एवं ग्रन्थों के वैज्ञानिक विधि से संरक्षण के लिए आवश्यक परामर्श देना।
6. प्रदेश में जनता को अभिलेखों के महत्व के प्रति जागरूक / दायित्वबोध कराने का प्रयास करना।

ख– उत्तरांचल क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति :–

उत्तरांचल प्रदेश क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	डॉ0 अजय सिंह रावत, अध्यक्ष–इतिहास विभाग डी0एस0पी0 कुमाऊँ विश्वविद्यालय परिसर, नैनीताल	–	अध्यक्ष
2.	विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग हे0नं0ब0 विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल	–	सदस्य
3.	विभागाध्यक्ष, गहुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार	–	सदस्य
4.	डॉ0 अतुल सकलानी, इतिहास विभाग हे0नं0ब0 विश्वद्यिालय, श्रीनगर–गढ़वाल	–	सदस्य
5.	डॉ0 रंजना रावत, डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, देहरादून	–	सदस्य
6.	प्रो0 मदन चन्द भट्ट भू0पू0 विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग पी0जी0 कालेज, पिथौरागढ़	–	सदस्य
7.	डॉ0 एस0एस0 नेगी इतिहास विभाग, हे0नं0ब0 विश्वविद्यालय, श्रीनगर–गढ़वाल	–	सदस्य
8.	डॉ0 शिव प्रसाद नैथानी, श्रीनगर–गढ़वाल	–	सदस्य
9.	डॉ0 यशवन्त सिंह कठोच, पौड़ी	–	सदस्य
10.	निदेशक राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार जनपथ, नई–दिल्ली	–	सदस्य
11.	निदेशक/प्रभारी राज्य अभिलेखागार, उत्तरांचल, देहरादून	–	सदस्य

उक्त समिति ऐसे सदस्यों को भी समय–समय पर मनोनीत कर सकती है, जिनके सलाह की उसे आवश्यकता हो, उत्तरांचल क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :–

महत्वपूर्ण हस्तलिखित ग्रन्थों विशेषकर ऐतिहासिक एवं अभिलिखित तथा किसी महान व्यक्ति द्वारा लिखित ग्रन्थ या पत्र का सर्वेक्षण एवं उन्हें प्राप्त करने को प्रयास करना।

ग– क्रय–समिति :–

क्रय समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

1.	डॉ0 बी0एम0 खण्डूरी, विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग हे0नं0ब0 विश्वविद्यालय, श्रीनगर–गढ़वाल	–	अध्यक्ष
2.	निदेशक, संस्कृति विभाग, उत्तरांचल	–	सदस्य सचिव
3.	निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत–सरकार जनपथ, नई–दिल्ली	–	सदस्य
4.	विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग हे0नं0ब0 विश्वविद्यालय, श्रीनगर–गढ़वाल	–	सदस्य
5.	निदेशक उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ	–	सदस्य
6.	विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग कुमाऊँ विश्वविद्यालय कैम्पस, नैनीताल	–	सदस्य

7	क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, नैनीताल	–	सदस्य
8	निदेशक, पं0गो0ब0 पन्त राजकीय संग्रहालय अल्मोडा	–	सदस्य
9	क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, पौड़ी	–	सदस्य
10	क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी, अल्मोड़ा	–	सदस्य
11	निदेशक / प्रभारी राज्य अभिलेखागार, उत्तरांचल, देहरादून	–	
	सदस्य / सचिव		

क्रय–समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे :–

1. क्रय समिति हस्तलिखित ग्रन्थों एवं अभिलेखों का प्रदेश में भिन्न–भिन्न स्थानों पर अध्ययन करके उनकी उपयोगिता पर विचार करेगी और अपनी संस्तुति के साथ वह क्षेत्रीय अभिलेख परामर्शदात्री समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करेगी, समिति आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें भी करेगी।
2. सभी प्रकार के हस्तलिखित ग्रन्थ, अभिलेख माइक्रोफिल्म की प्रति या नोट आदि जो समिति को दान स्वरूप या क्रय के रूप में प्राप्त होंगे, वह सरकार की सम्पत्ति होगी और राज्य अभिलेखागार में संरक्षित रहेगी।
3. उत्तरांचल राज्य अभिलेखागार द्वारा प्रदेश में अभिलेखों एवं हस्तलिखित ग्रन्थों का सर्वेक्षण किया जायेगा एवं समिति के सचिव द्वारा उसकी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की जायेगी, जिन–जिन जिलों में हस्तलिखित ग्रन्थ एवं अभिलेख अधिक उपलब्ध होंगे वहाँ पर भी अभिलेख क्रय समिति की बैठक बुलाई जा सकती है।
4. श्री राज्यपाल महोदय ने फाइनेन्शियल हैण्डबुक–खण्ड–3 के नियम 20(बी) के अन्तर्गत यह भी आदेश दिये है कि अभिलेख परामर्शदात्री समिति क्षेत्रीय अभिलेख सर्वेक्षण समिति तथा अभिलेख क्रय समिति के ऐसे गैर सरकारी सदस्य जो कि उस स्टेशन के स्थानीय निवासी नहीं हैं, जहाँ समिति का मुख्यालय है या जहाँ उसकी बैठकें होती हैं, की समिति की बैठक में सम्मिलित होने तथा समिति सम्बन्धी सर्वेक्षण के लिये की गई यात्राओं तथा पड़ाव के लिए नियमानुसार प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारियों को देय यात्रिक और दैनिक भत्ते के बराबर यात्रिक तथा दैनिक भत्ते दिये जायेंगे। यह भत्ते इन लोगों के सामान्य निवासा स्थान से समिति की बैठक के स्टेशन तक तथा वहाँ से सामान्य निवास स्थान तथा वापसी की यात्राओं के लिए देय होंगे, परन्तु यदि समिति के ऐसे गैर सरकारी सदस्यों को जो विधान मण्डल सत्र के मध्य देहरादून में उपस्थित हों, देहरादून से भिन्न किसी स्थान पर समिति की बैठक में उपस्थित होना अपेक्षित हों, तो उनके सामान्य निवास स्थान के बजाय देहरादून में बैठक के स्थान तक जाने तथा देहरादून वापस आने तक के लिए यात्रा भत्ता स्वीकार होगा, अगर यात्रा के समय रेलवे रियायती दर पर टिकट देती है, तो यात्रिक भत्ता रेल के वास्तविक किराये या प्रथम श्रेणी के

अधिकारी को देय प्रासंगिक व्यय के बराबर होगा। यदि कोई गैर सरकारी सदस्य जो विधान मण्डल या संसद का सदस्य भी है, तो उसकी रेल से यात्रा करने के लिये रेल का किराया नहीं मिलेगा, बल्कि केवल उक्त आदेशानुसार प्रासंगिक व्यय देय होगा, क्योंकि यात्रा के लिए मुफ्त कूपन/पास मिलते हैं। यात्रिक तथा दैनिक भत्ता उक्त नियम के नीचे अंकित नोट 1 से 4 तक के प्राविधानों के अधीन होगा।

5. समिति के गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता के नियमों के नियन्त्रण अधिकारी, निदेशक, संस्कृति विभाग, उत्तरांचल होंगे, सरकारी सदस्य वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–3 में दिये गये नियमों के अनुसार साधारण दरों पर ग्राह्य यात्रा भत्ता के अधिकारी होंगे और उनका व्यय सम्बन्धित विभागीय आय–व्ययक से पूरा किया जायेगा।

6. उक्त व्यय आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2205–कला और संस्कृति–आयोजनेत्तर–104–अभिलेखागार–03–राज्य अभिलेख–42–अन्य व्यय के नाम लिखा जायेगा।।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–1309/वित्त अनुभाग–2, दिनाँक 17.01.2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एन०एन प्रसाद)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-संठवि0/2003-04-तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखागार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. समितियों के अध्यक्ष।
3. समितियों के समस्त सदस्य।
4. उत्तरांचल के समस्त जिलाधिकारी।
5. निदेशक राजकीय अभिलेखागार, देहरादून।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अतर सचिव।